25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	भूमि
2.	तहसील	:	[illegible]
3.	ग्राम	:	[illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति पता)	:	भूमि खसरा संख्या-751 हेक्टेयर
5.	सड़क की दूरी	:	
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.5628 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	भूमि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	[illegible]	:	नहीं
10.	[illegible]	:	रू0 17,44,[illegible]
11.	मालियत	:	रू0 [illegible],125/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 1,76,000/-

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

खसरा नं0 757

पूरब : कृषि भूमि खसरा संख्या–760
पश्चिम : कृषि भूमि खसरा संख्या–756
उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या–742
दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या–758, 759

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
विपुल कुमार पुत्र गुलाब निवासी– ग्राम – अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	ओम प्रकाश पुत्र सुखराम, निवासी– मिर्जापुर, मितरी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय – कृषि

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY LKO

-3-

<u>विक्रय विलेख</u>

यह विक्रय विलेख बिशुन कुमार पुत्र गुलाब निवासी– ग्राम – अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् ओम प्रकाश पुत्र सुखराम, निवासी– मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–गवनाथ, जिला–फतेहपुर, उ०प्र० जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 409476

-4-

यह कि विक्रेता षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–367 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या–757 रकबा 0.690 हेक्टेअर में से रकबा 0.5635 हेक्टेअर जो कि ग्राम–अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित है, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 367 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

109479

विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करते है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय से पूर्व कहीं

INDIA NON JUDICIAL

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

409450

FEB 2007

बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्की इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 17,65,179/- (रूपया सत्रह लाख

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 497563

पैसठ हजार एक सौ उन्यासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करती है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता ओम प्रकाश पुत्र तुलाराम, निवासी– मिर्जापुर, सिठारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 487564

अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगी। और यदि बिक्रीशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 157566

इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता व उसके वारिसान की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि 0.5635 हेक्टेयर की मालियत रू0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 1937

9,86,125/– होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,76,600/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 013060

11 FEB 2011

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

खसरा संख्या–757 रकबा 0.690 हेक्टेअर में से रकबा 0.5635 हेक्टेअर जो कि ग्राम– अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ में स्थित है,।

<u>परिशिष्ट : भुगतान विवरण</u>

विक्रेता को रू0 17,65,179/– (रूपया सत्रह लाख पैंसठ हजार एक सौ उन्यासी मात्र) द्वारा चेक संख्या–[illegible] दिनांक [illegible] ०१/०२/2007 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

([illegible])

[illegible]

विक्रय पत्र

1,785,170.00 997,000.00

5,000.00 20 5,020.00 1,000

प्रतिफल मालियत

पंजीकरण शुल्क प्रतिलिपि शुल्क योग शब्द लगभग

श्री / श्रीमती विजय कुमार

पुत्र / पुत्री श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी ग्राम [illegible], लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/3/2007 समय 5:39PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

ओ.पी. सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

1/3/2007

निबन्धन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती विजय कुमार

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी ग्राम [illegible], लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुशील कुमार मिश्रा

पुत्र श्री [illegible] मिश्रा

पेशा वकालत

निवासी [illegible], लखनऊ

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible], लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

ओ.पी. सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

1/3/2007

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 17,65,179/- (रुपया सत्रह लाख पैंसठ हजार एक सौ उन्यासी मात्र) विक्रेता ने क्रेता से, प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोट : पृष्ठ संख्या-14 पर चेक संख्या व दिनांक पेन से लिखी हैं।

लखनऊ
दिनांक: 01.03.2007
गवाह

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्वर हुसैन)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No 3167

Year : 2007

Book No 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

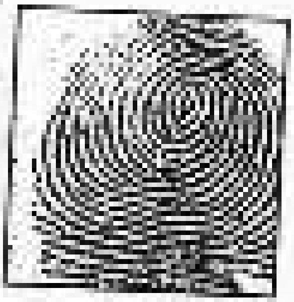

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता.– [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

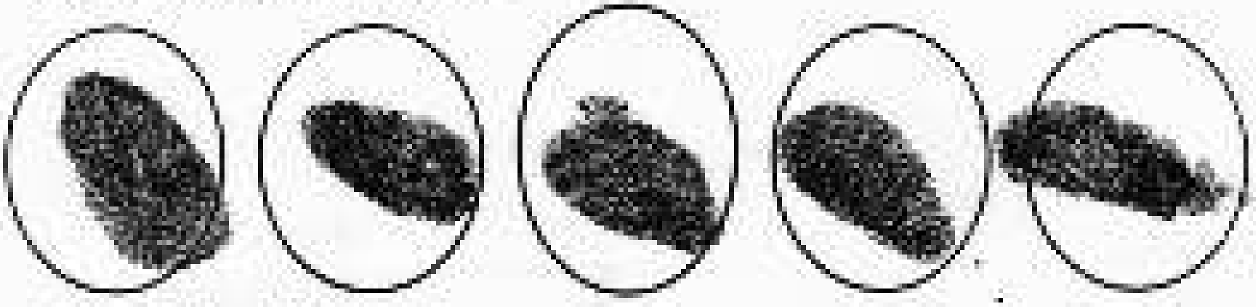

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

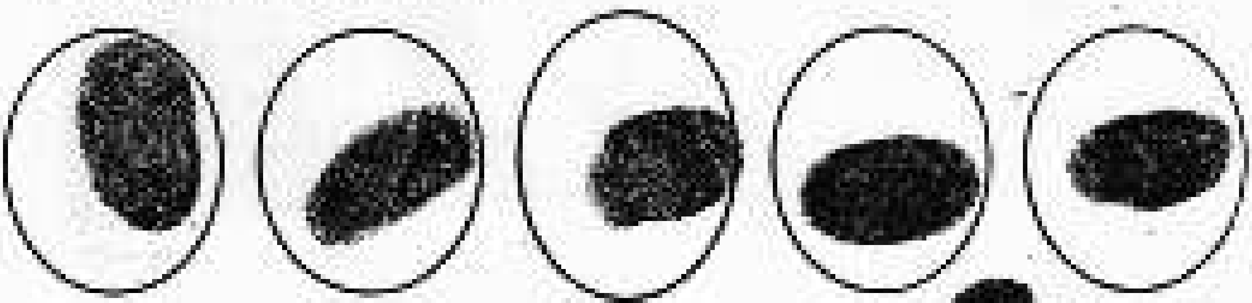

[illegible]
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता / क्रेतागण का नाम व पता:– [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

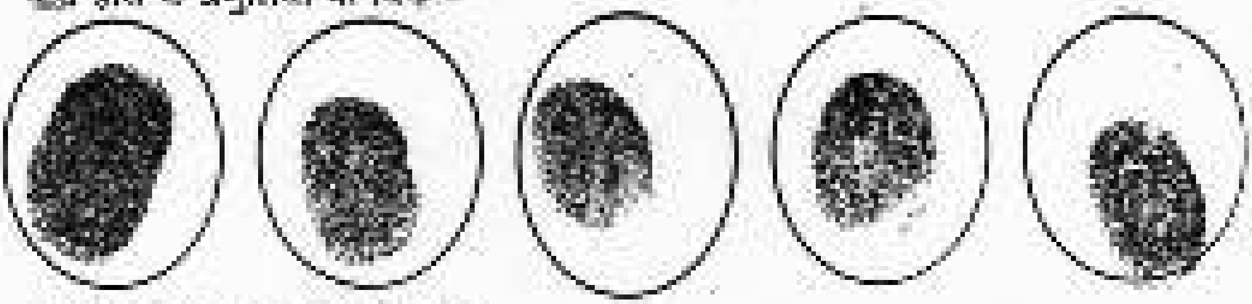

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

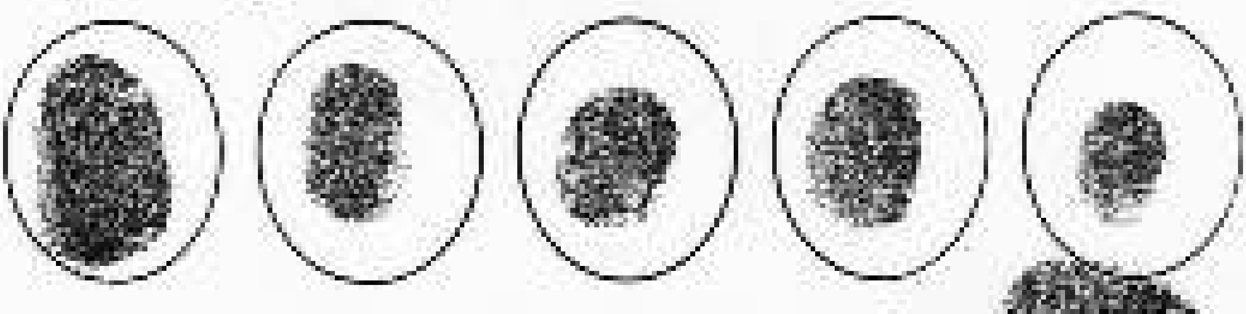

([illegible])
क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 3187 Year: 2007 Book No. 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

कृषि

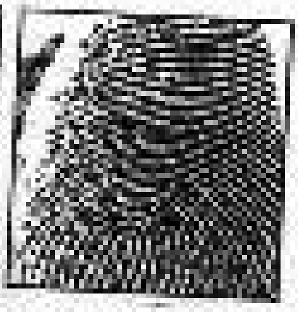

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : श्रीमती [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त संम्पत्तियों का विवरण

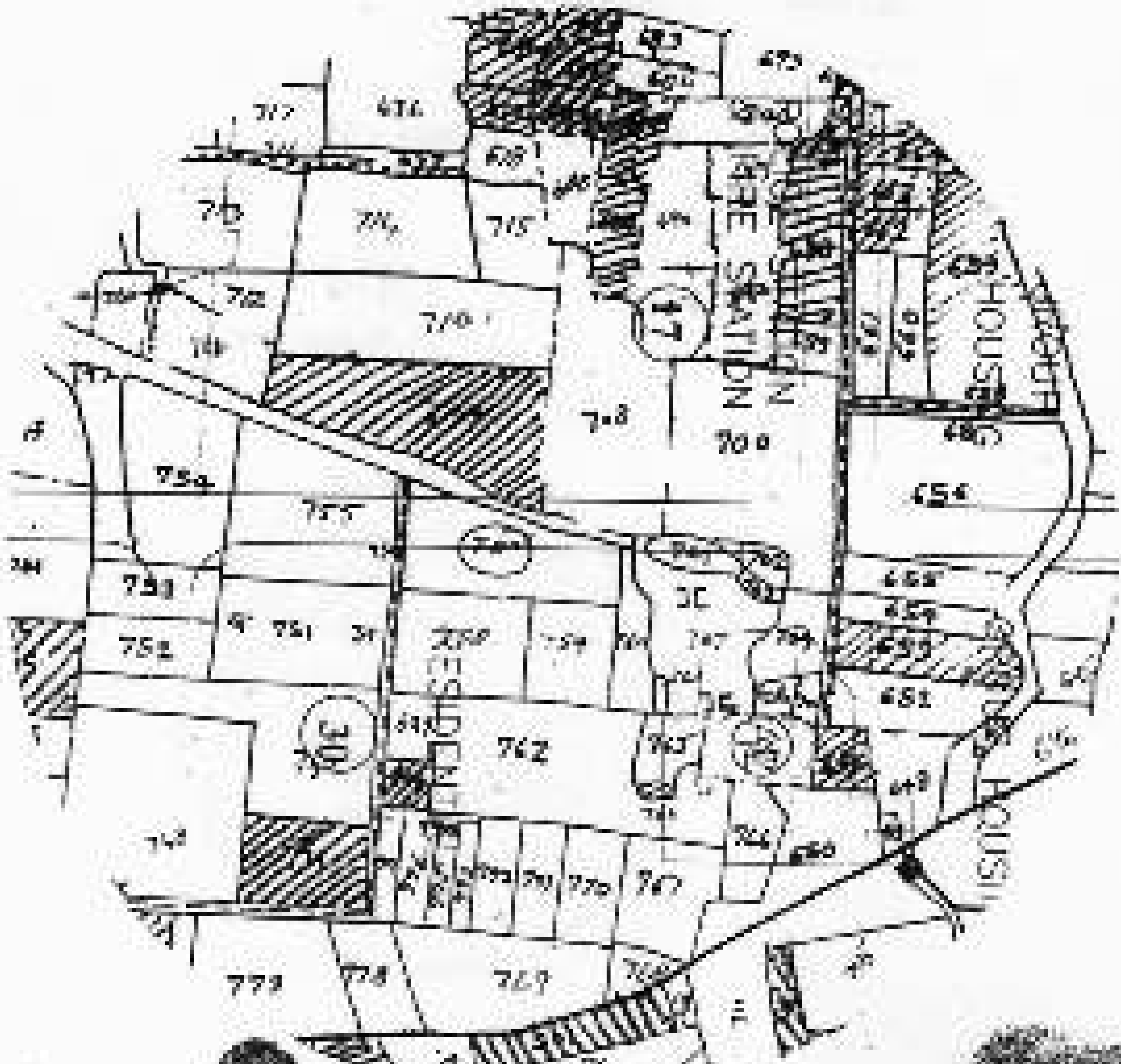

आज दिनांक 01/03/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 6441

पृष्ठ सं 305 से 338 पर क्रमांक 2187

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

1/3/2007